भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3114

11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना

†3114. श्री शशांक मणिः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऊर्जा परिवर्तन, डीप-टेक, एआई और बायोटेक जैसे क्षेत्रों के प्रारंभिक परिवर्तनकारी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) वित्तपोषित परियोजनाओं, अपनाई गई प्रौद्योगिकियों और स्थापित 'डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स' का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी भागीदारी के प्रभाव का आकलन किया है और इसके विस्तार का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) और व्यय विभाग (डीओई) के साथ परामर्श करके अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) कोष के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के साथ-साथ योजना के लिए विशेष वित्तीय नियमों को तैयार कर अंतिम रूप दिया है। इन दिशा-निर्देशों को अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है।

स्वीकृत ढांचे के अनुसार, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को द्वितीयक स्तर निधि प्रबंधक (एसएलएफएम) के रूप में नामित किया गया है और उन्होंने क्रमशः 4 फरवरी 2026 और 13 फरवरी 2026 को परियोजना प्रस्तावों के लिए आंमत्रण जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, फंड ऑफ फंड्स सहित अन्य पात्र संस्थाओं से एसएलएफएम के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 थी। आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और चयन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

एसएलएफएम, कार्यनीतिक और उभरते क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) 4 और उससे ऊपर की प्रौद्योगिकियों का विकास कर रही पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं, जिनमें स्टार्टअप, कंपनियां और उद्योग-नेतृत्व वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

(ग) से (घ): भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय (जीईआरडी) सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.64% है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र कुल व्यय का लगभग 60% वहन करता है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 35-36% है। यह नवाचार-प्रेरित अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, जहां निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास व्यय का 70% से अधिक योगदान देता है।

उच्च जोखिम वाले और गहन प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए दीर्घकालिक पूंजी की कमी को दूर करने और निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है।

*****